पेसा नियम प्रारूप (प्राविधिक)
छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2021

अध्याय — 1
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक, सीमा और प्रारंभ—

   1. इस नियम का नाम छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2021 है।

   2. यह नियम राज्य के उन सभी अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित होंगे, जहां भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची लागू है।

   3. यह नियम ''छत्तीसगढ़ राजपत्र'' में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ:

   इस नियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

   1. ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है '' पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (संख्यांक 40)''।

   2. ''ग्राम'' से अभिप्रेत है, अनुसूचित क्षेत्रों में कोई ऐसा ग्राम जिसमें साधारणतया आवास या आवासों का समूह अथवा छोटा गांव या छोटे गांवों का समूह होगा जिसमें समुदाय समाविष्ट हो, और जो परम्पराओं और रूढियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंध करता है।

   3. ''ग्राम—सभा'' से अभिप्रेत है, ऐसा निकाय जो उन व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, जिनके नाम ग्राम स्तर पर या उसके ऐसे भाग में, जिसके लिए उसका गठन किया गया है, पंचायत क्षेत्र से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित है।

   4. ''लघु वनोपज'' से अभिप्रेत है, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन वासियों के (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 2 (झ) में यथा परिभाषित।

   5. ''लघु जलाशय (वाटर बाडी)'' से अभिप्रेत है, ऐसे जलाशय जो पेयजल एवं औद्योगिक उपयोग के लिए प्रयुक्त हो और जिस पर चैक डेमों का विनिर्माण किया जा सके तथा जिसमें 10 हेक्टेयर तक की भूमि की सिंचाई करने की क्षमता हो।

   6. ''साहूकार'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ साहूकारी अधिनियम, 1934 के तहत परिभाषित साहूकार।

   7. ''वन्य जीव'' से अभिप्रेत है वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 से 4 में विनिर्दिष्ट पशु है जो प्रकृति में स्वच्छंद पाए जाते है।

   8. ''जैव विविधता'' से अभिप्रेत है जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 2 (C) द्वारा परिभाषित।

   9. ''सतत उपयोग'' से अभिप्रेत है कोई भी संसाधन ऐसी मात्रा तथा तरीकें से उपयोग हो जिससे पर्यावरणीय क्षमता की खात्मा न हो तथा वर्तमान एवं भविष्य में मानव समुदाय उपयोग कर सकें।

10. ''सामुदायिक संसाधन'' से अभिप्रेत है सामुदायिक प्रायोजन के लिए ग्राम सभा के पारंपरिक सीमा क्षेत्र में अवस्थित प्राकृतिक संसाधन जिसमें जल, जंगल, जमीन, खनिज और अन्य संसाधन जो निजी स्वामित्व से अलग है, जो पारंपरिक रूढियों से चली आ रही है।

11. ''परामर्श'' से अभिप्रेत है ग्राम सभा मे उपस्थित सदस्यों के पारदर्शिता के साथ भयमुक्त सलाह।

12. ''सर्व सम्मति अथवा सर्व सहमति'' से तात्पर्य यह है कि उपस्थित लोग स्वतंत्र एवं भयमुक्त होकर प्रस्ताव से सहमत है एवं कोई भी उसके विरोध में नही है।

13. ''कलेक्टर को प्रेषित'' से तात्पर्य है कि कलेक्टर को अथवा कलेक्टर द्वारा उस प्रयोजन हेतु अधिकृत अधिकारी को प्रेषित।

14. ''प्रचलित विधि '' से तात्पर्य है कि विभिन्न विभागो से संबंधित विधि संहिता मे प्रचलित विधि।

3. नियमों में प्रयुक्त शब्द और भाव अधिनियम में परिभाषित किए गए है, जैसा अर्थ अधिनियम में उन्हें दिया गया है, किन्तु जो परिभाषित नही है, वही अर्थ होंगे, जो ''छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993'' और उसके अधीन बनाए गए नियमों में उनके अर्थ है।

अध्याय – 2
ग्राम सभा की संरचना, शक्ति तथा कार्यप्रणाली

4. नए ग्राम का गठन

1. ग्राम वासी चाहे तो वह पूर्व से चली आ रही पारंपरिक/रूढ़िगत सीमा/ सरहद क्षेत्र के अनुसार अपने गॉव की स्थापना कर सकेंगे।
2. ऐसे मोहल्ले या पारे की जनसंख्या जो मूल पंचायत की जनसंख्या का 1/3 या 100 जो अधिकतम हो, तो एक नया गांव बनाने हेतु प्रस्ताव ग्राम सभा में पारित कर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को भेज सकते हैं।
3. विहित प्राधिकारी, भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 68 (ख) के प्रावधान के अनुसार संबंधित मोहल्ला/पारा /टोला/बस्ती को एक गांव के रूप में अधिसूचित करेगा।
4. छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129–ख के अनुसार राज्यपाल, लोक अधिसूचना द्वारा इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए किसी ग्राम को विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।
5. इन नियमों के अधिसूचित होने के 1 साल के भीतर राज्य सरकार द्वारा नए ग्राम के गठन करने हेतु कार्यवाही की जावेगी।
6. प्रत्येक 10 वर्ष में नवीन जनगणना के पश्चात राज्य सरकार नए ग्राम के गठन की प्रक्रिया कर सकेगी।

5. ग्राम सभा की संरचना

1. छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 129 (क) के खण्ड ,(ख) में विनिर्दिष्ट ''ग्राम'' के लिए साधारणतः एक ग्राम सभा होगी। परंतु ग्राम या ग्रामों के समूह, खेड़ा या खेड़ों (हेमलेटस) के समूह, जिसमें मोहल्ला, मजरा, टोला, पारा या आवास या आवासों के समूह आदि सम्मिलित हो क्षेत्र के भीतर एक से अधिक ग्राम सभाओं का गठन किया जा सकेगा।

2. प्रत्येक ग्राम सभा स्वशासी निगमित निकाय होगी तथा उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा एवं उसकी सामान्य पद मुद्रा होगी और वह अपने नाम से वाद चलायेगी तथा उसके नाम से उनके विरूद्ध वाद चलाया जायेगा। इन नियमों के प्रावधान के अधीन रहते हुए उसे चल या अचल संपत्ति अर्जित करने, धारण करने या अंतरित करने, संविदाए करने तथा ऐसी समस्त अन्य बातों जो उसे अपने कर्तव्यों के पालन के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो, करने की भी शक्ति होगी।

6. नए ग्राम सभा का गठन

1. ग्राम सभा का गठन छ.ग. अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा (गठन, सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम, 1998 की नियम 4 एवं नियम 5 में अधिकथित रीति में किया जायेगा।

2. नए ग्राम सभा के गठन हेतु विद्यमान ग्राम सभा के 50 प्रतिशत से अधिक कोरम में संकल्प पारित किया जायेगा।

3. नये ग्राम सभा गठन संबंधी प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा अधिकतम एक माह के भीतर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को प्रेषित करेंगें। ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित अवधि में प्रस्ताव प्रेषित नही किये जाने की स्थिति में ग्राम सभा अध्यक्ष ऐसा प्रस्ताव अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के समक्ष सीधे प्रस्तुत कर सकेंगे।

4. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ऐसे प्रस्ताव पर 3 माह के समय सीमा के भीतर कार्यवाही करेंगें। 3 माह की अवधि में कार्यवाही नही किये जाने की स्थिति में उक्त प्रस्ताव पर स्वीकृति मानते हुये अग्रिम कार्यवाही कि जावेगी।

7. ग्राम सभा की शक्तियां एवं कार्य

किसी अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा को छ.ग.पं.रा.अधि. 1993 की धारा–7 एवं 129–ग के अनुसार शक्तियां एवं कृत्य होंगी। इसके अतिरिक्त उन नियमो के अधीन जो राज्य सरकार इस निमित्त बनाये और ऐसे साधारण या विशेष आदेशो के जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जाये, अधीन रहते हुए ग्राम सभा की निम्नानुसार शक्तियां तथा कृत्य होंगे, अर्थात–

1. ग्राम के पारंपरिक सीमा के भीतर प्राकृतिक स्त्रोत जिनके अंतर्गत जल, जंगल, जमीन तथा सामुदायिक भूमि का संरक्षण, परिरक्षण एवं पर्यवेक्षण करेगा।

2. पंचायत द्वारा पारित किये जाने के पूर्व बजट में किसी भी बदलाव के लिए निर्देशित करेगा।

3. पंचायत के बजट के साथ–साथ विभिन्न अन्य स्त्रोंतों से प्राप्त आय से विकास कार्यो और योजनाओं पर ग्राम सभा से अनुमोदन लिया जायेगा।

4. ग्राम सभा शासकीय योजनाओं के दिशानिर्देश के अनुरूप हितग्राहियों का चयन एवं प्राथमिकता तय करेगा।

5. ग्राम पंचायत के कार्यो की प्रगति की नियमित पर्यवेक्षण करना।

6. ग्राम सभा के सीमा क्षेत्र में स्थित कुआ, टैंक, नाला, डबरी तथा अन्य जल स्त्रोतों के सरंक्षण एवं संवर्धन के लिए ग्राम सभा की सहमती से ग्राम पंचायत द्वारा प्रबंधन किया जायेगा।

7. भू–उपयोग में परिवर्तन तथा भू–हस्तांतरण के संबंध में ग्राम पंचायत को परामर्श दे सकती है। भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में ग्राम सभा अपनी आपत्ति संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के समक्ष दर्ज करा सकेंगे।

8. गलत तरीके से भू–हस्तांतरण (अन्य समुदायों को) के मामले में ग्राम सभा भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 170 ख के तहत कार्यवाही करेगी।

9. ग्राम सभा के भूमि पर अनाधिकृत निर्माण तथा अतिक्रमण की स्थिति की समीक्षा करना । अतिक्रमण हटाने हेतु ग्राम पंचायत एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देशित करना।

10. गौण खनिजों के उत्खनन एवं खनन स्थल के संबंध मे ग्राम सभा से अनुमति लिया जायेगा।

11. गांव में कोई भी परियोजना के मामले में, पुर्नवास होने पर ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य होगी। ग्राम सभा की सहमति – परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों का सुनिश्चित आजीविका एवं निवास तथा गांव के सांस्कृतिक–धार्मिक चिन्ह का युक्ति–युक्त संरक्षण पर आधारित होगी।

12. प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और पर्यवेक्षण।

13. पारंपरिक ज्ञान, बीज, पद्धति, जैविक कीटनाशक, अनाज भण्डारण के तकनीक, जीवों के साथ सहजीविता तकनीक, जैव विविधता के साथ संतुलन स्थापित करती कृषि तकनीक आदि बौद्धिक ज्ञान संपदा की पहचान कर उनके पेटेंट अधिकार प्रदान करने में आर्थिक व तकनीकी सहयोग करना।

14. स्थानीय सांस्कृतिक विरासत, जैसे देवी–देवताओं का स्थान, पूजा–पाठ की प्रणाली, संस्थाएं (जैसे–गोटुल, धूमकुलिया) तथा मानव–वादी सामाजिक आचार–व्यवहारों को किसी भी प्रकार के विनाशकारी व्यवहारों से संरक्षित करेगा।

15. समाज के सभी वर्गो के बीच एकता एवं सद्भाव को बढावा देना।

16. कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करना।

17. ऐसे कानून मे संशोधन के प्रस्ताव करना, जिनमें प्रथागत कानून, सामाजिक और आर्थिक प्रथाओं पारंपरिक प्रबंधन प्रथाओं या सामुदायिक संसाधनों के साथ असंगत हैं।

18. नशीलें पदार्थो का उत्पादन, बिकी एवं व्यसन पर ग्राम सभा का निर्णय सर्वमान्य होगा।

19. आग, बाढ, भूकंप आदि जैसे किसी भी प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में हर साल आपदा न्यूनीकरण योजना की समीक्षा करना।

20. सामुदायिक कल्याण कार्यकमों और सार्वजनिक कार्यो के लिए नकद या श्रम आदि में स्वैच्छिक योगदान जुटाना।

21. जन्म, मृत्यु, जाति, विवाह प्रमाण पत्र जारी करने के कार्यो में पंचायतों की समीक्षा करना।

22. संविधान के 11वीं अनुसूची मे उल्लेखित 29 विषयो से संबंधित विभागो के मैदानी कर्मचारियों का पर्यवेक्षण करना।

23. ग्राम सभा के सीमा क्षेत्र में कोई निकाय या विभाग किसी अधिनियम के अंतर्गत कार्यो के संबंध में निर्णय लेने के पूर्व उक्त **छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार)** नियम, 2021 के विभिन्न उपबंधो में उल्लेखित प्रावधान अनुसार ग्राम सभा से सहमति अथवा परामर्श लेगा।

8. ग्राम सभा का अध्यक्ष

1. ग्राम सभा के सम्मिलन की अध्यक्षता ग्राम सभा के अनुसूचित जनजातियों के किसी ऐसे सदस्य द्वारा की जाएगी जो ग्राम पंचायत का सरपंच या उप सरपंच या सदस्य न हो, और जो ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किये गये हो।

2. ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मिलन के एक माह के भीतर ग्राम सभा अपने अध्यक्ष का निर्वाचन करेगा।

3. अध्यक्ष का कार्यकाल एक वर्ष का होगा। एक बार अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद ग्राम पंचायत के शेष कार्यकाल में वह व्यक्ति दोबारा ग्राम सभा अध्यक्ष निर्वाचित नही हो सकेगा। गांव मे निवासरत अनुसूचित जनजाति के सभी वर्गो से ग्राम सभा अध्यक्ष बनाने हेतु प्रयास किया जायेगा। ग्राम सभा अध्यक्ष पद चक्रानुक्रम में महिला/पुरूष के लिए होगा।

4. ग्राम सभा अध्यक्ष बनने की अर्हता वही होंगी जो ग्राम पंचायत सरपंच बनने की होती है।

5. ग्राम पंचायत के जिस कार्यकाल मे ग्राम सभा अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाना है उस कार्यकाल मे ग्राम पंचायत स्तर के किसी भी पद पर पराजित प्रत्याशी, ग्राम सभा अध्यक्ष नही बन सकेगा।

6. ग्राम सभा चाहे तो अपने अध्यक्ष को 6 महिने बाद केवल एक बार 50 प्रतिशत के बहुमत से प्रस्ताव कर वापस बुला सकेगी।

7. ग्राम सभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में ग्राम सभा द्वारा उपस्थित सदस्यों में से उसी वर्ग के व्यक्ति को उस ग्राम सभा के लिए अध्यक्ष का चयन किया जायेगा।

8. अध्यक्ष किसी भी समय अपना त्याग पत्र ग्राम सभा को प्रेषित कर नियमानुसार अनुमोदन पश्चात पद से मुक्त हो सकता है।

9. अध्यक्ष का पद किन्ही भी कारणों से रिक्त होने की दशा में 30 दिवस के भीतर उसी वर्ग के व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में चयन किया जायेगा। जिसका कार्यकाल अध्यक्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए होगा।

9. ग्राम पंचायत सचिव का ग्राम सभा के प्रति कर्तव्य एवं दायित्व

1. ग्राम पंचायत का सचिव या इस निमित्त शासन द्वारा नियुक्त कर्मचारी ग्राम सभा का सचिव होगा।

2. ग्राम पंचायत सचिव या इस निमित्त शासन द्वारा नियुक्त कर्मचारी छ.ग. पंचायत **राज अधिनियम 1993 की धारा 72– एवं छ.ग. ग्राम पंचायत (सचिव की शक्तियां तथा कृत्य) नियम 1999** में उल्लेखित ग्राम सभा के प्रति निहित कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेगा।

3. ग्राम पंचायत सचिव की उपस्थिति प्रतिवेदन ग्राम सभा अध्यक्ष के अनुशंसा से ग्राम पंचायत द्वारा नियंत्रण अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

4. ग्राम सभा आयोजन के पूर्व महिनो के सचिव का दैनंदिनी कार्यक्रम ग्राम सभा में अनुमोदित किया जायेगा।

5. वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन पर ग्राम सभा की अनुशंसा के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रथम मतांकन किया जायेगा। द्वितीय मतांकन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा स्वीकृतकर्ता अधिकारी का मतांकन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत करेंगे।

6. ग्राम पंचायत सचिव के उपस्थित प्रतिवेदन, आचरण तथा गोपनीय प्रतिवेदन के संबंध में एक से अधिक ग्राम सभा द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन पर विरोधाभाष होने की स्थिति मे ग्राम पंचायत द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

10. कार्यालय

ग्राम पंचायत कार्यालय में ही समस्त ग्राम सभा के अभिलेखों को संधारित किया जायेगा।

11. ग्राम सभा की बैठकों की, तारीख, स्थान व समय

1. ग्राम सभा की बैठक ऐसे सार्वजनिक स्थान पर आयोजित की जावेगी, जहां ग्राम सभा के प्रत्येक सदस्य बिना किसी रूकावट के उपस्थित हो सके।

2. शासन द्वारा निर्धारित ग्राम सभा के अतिरिक्त ग्राम सभा अध्यक्ष किसी भी समय या – ग्राम सभा के कुल सदस्यों में 5 प्रतिशत या 25 सदस्यो द्वारा जो भी कम हो, द्वारा लिखित में अपेक्षा किए जाने पर 07 दिवस के भीतर ग्राम सभा की बैठक बुलायेगा।

3. ग्राम सभा नियमित अंतराल पर भी ग्राम सभा बैठक आयोजित करने हेतु व्यवस्था बना सकेगी। ऐसी नियमित बैठक की तिथि (अंग्रेजी तारीख या सप्ताह का दिन), समय, और स्थान ग्राम सभा द्वारा ही स्थाई रूप से तय किया जा सकेगा। इसके लिए पूर्व सूचना की आवश्यकता नही होगीं।

12. ग्राम सभा की गणपूर्ति/ कोरम

1. ग्राम सभा के प्रत्येक बैठक में कोरम अनिवार्य होगा।

2. ग्राम सभा की बैठक का कोरम ग्राम सभा के कुल सदस्यो की एक तिहाई से होगी जिसमे एक तिहाई महिला सदस्य होंगी। परंतु भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, भूमि वापसी तथा सामुदायिक संसाधन जैसे कि जल, जंगल और जमीन के संबंध में कोई भी निर्णय हेतु कोरम कुल सदस्यों के 50 प्रतिशत अनिवार्य होगा।

13. निर्णय लेने का तरीका

1. ग्राम सभा मे सामान्यतः सर्वसम्मति से निर्णय लिए जायेंगे।

2. सर्वसम्मति नही होने पर बैठक आगामी तिथि जो अधिकतम सात दिवस हो सकती है, के लिए स्थगित किए जा सकेंगे, जिसकी सूचना बैठक मे दी जायेगी।

3. दो बार सर्वसम्मति नही होने की स्थिति में तीसरी बैठक में उपस्थित सदस्यो के बहुमत द्वारा गुप्त मतदान से फैसला किया जा सकेगा। मत बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा।

4. ग्राम सभा के 10 प्रतिशत या 50 लोग जो भी कम हो, के द्वारा ग्राम सभा के अध्यक्ष को लिखित में पुर्नविचार हेतु आवेदन करने पर ग्राम सभा की अगली बैठक में अनिवार्य रूप से पुर्नविचार किया जाएगा।

14. ग्राम सभा की अभिलेख संधारण प्रक्रिया

1. ग्राम सभा के कार्यवाही पंजी का संधारण ग्राम पंचायत सचिव द्वारा किया जायेगा।

2. ग्राम सभा मे लिये गये निर्णयो को पंजी में इंद्राज कर ग्राम सभा के उसी बैठक में सभी सदस्यों के समक्ष पढ़ कर सुनायेगा।

3. सदस्यों की सहमति के पश्चात् उस रजिस्टर पर अध्यक्ष, सचिव एवं अन्य उपस्थित सदस्य द्वारा हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान लगायेगा।

4. बैठक कार्यवाही विवरण हिन्दी में देवनागरी लिपि या स्थानीय भाषा एवं लिपि में भी लिखा जा सकेगा।

5. ग्राम सभा की कार्यवाही विवरण की प्रति सचिव द्वारा ग्राम पंचायत को प्रस्तुत की जावेगी।

15. ग्राम सभा की संयुक्त बैठक

1. ऐसे विषय जिसका संबंध एक से अधिक ग्राम सभा से हो, इस हेतु संयुक्त ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जा सकती है।

2. संयुक्त सम्मिलन में किया गया विनिश्चय प्रत्येक ग्राम सभा द्वारा किया गया विनिश्चय माना जाएगा।

3. संयुक्त बैठक की अध्यक्षता ऐसे भाग लेने वाली ग्राम सभाओं के अध्यक्षों में से चुना जायेगा।

4. संयुक्त बैठक में प्रत्येक ग्राम सभा से न्यूनतम 33 प्रतिशत व्यक्ति अथवा 20 सदस्य, जो भी अधिक हो, की उपस्थिति अनिवार्य होगा। जिनमें न्यूनतम 33 प्रतिशत महिला सदस्य होंगे।

5. संयुक्त ग्राम सभा के बैठक की कार्यवाही पंजी संधारित करने हेतु भाग लेने वाले ग्राम पंचायतो के सचिवों मे से किसी एक को जिम्मेदारी सौंपी जा सकेगी।

16. ग्राम सभा के निर्णय पर आपत्ति

1. ग्राम सभा के निर्णय से प्रभावित व्यक्ति या शासकीय विभाग ग्राम सभा मे अपील कर सकता है इस पर 30 दिवस के भीतर ग्राम सभा की बैठक में पुनर्विचार हो सकता है।

2. यदि निर्धारित अवधि (30 दिवस) के भीतर ग्राम सभा में पुर्नविचार नही किया जाता या प्रभावित पक्षकार ग्राम सभा के निर्णय से संतुष्ठ नही है तो पक्षकार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के समक्ष ग्राम सभा निर्णय के विरूद्ध अपील कर सकेगा।

3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) प्रचलित नियम एवं विधि अनुसार 30 दिवस के भीतर कार्यवाही कर प्रभावित पक्षकार तथा ग्राम सभा को अवगत करायेगा।

4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के निर्णय के विरूद्ध अपील कलेक्टर को किया जा सकता है।

17. ग्राम सभा के निर्णयों की अवहेलना

1. ग्राम सभा के निर्णय अथवा अधिकारिता की अवहेलना करने पर संबंधित विभाग के कार्यो को ग्रांम सभा द्वारा स्थगित किया जा सकता है।

2. ग्राम सभा के निर्णयों की अवहेलना करने पर दण्ड का प्रावधान होगा, जिसके लिए शासन द्वारा पृथक से निर्देश जारी किया जायेगा।

3. संबंधित विभाग इस विषय पर 30 दिवस के भीतर ग्राम सभा मे पुर्नविचार हेतु आवेदन कर सकेगा।

4. प्रकरण का समाधान 30 दिवस के भीतर नही होने की स्थिति अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को प्रेषित किया जायेगा जिस पर उनके द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। जिस पर अंतिम निर्णय कलेक्टर का होगा।

18. ग्राम सभा की कार्यकारी समिति

1. ग्राम सभा की कार्यकारी समिति ग्राम पंचायत होगी।

2. ग्राम पंचायत, ग्राम सभा के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करेगी।

19. ग्राम सभा की समिति

1. छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 46 के अंतर्गत गठित स्थायी समितियां ग्राम सभा के मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण मे कार्य करेगी।

2. ग्राम सभा अपने क्षेत्र में संसाधन नियोजन एवं प्रबंधन समिति ;त्त्ब्डब्द्ध तथा शांति एवं न्याय समिति का गठन कर सकेगी। इन समितियों के अतिरिक्त ग्राम सभा अपने क्षेत्र मे आवश्यकतानुसार एक से अधिक समितियों का गठन कर सकेगी।

20. समानान्तर निकाय

1. शासकीय विभागो द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर किसी अन्य समितियों का गठन नही किया जायेगा। यदि केन्द्र शासन के किसी योजना के तहत समितियों का गठन करना अनिवार्य हो तो ऐसी सभी समितियां ग्राम पंचायत के स्थायी समितियों का भाग मानते हुए ग्राम सभा के मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण मे कार्य करेगी।

21. महिला सभा एवं अन्य सभा की बैठक–

1. महिला सभा में गांव की सभी व्यस्क महिला सदस्य होगीं, अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति वर्ग से होगी, यह प्रयास किया जाये कि प्रत्येक ग्राम सभा के पूर्व महिला सभा हो किन्तु वर्ष में कम से कम 02 बैठकें अनिवार्य होगी।

2. दिव्यांगजन, तृतीय लिंग समूह, वरिष्ठ नागरिक एवं वंचित समूहों की वर्ष में कम से कम पृथक से एक ग्राम सभा का आयोजन किया जाये।

3. ग्राम पंचायत सचिव कार्यवाही विवरण लिखेगा।

4. वर्ष में एक बार बाल सभा का आयोजन किया जा सकेगा। बाल सभा में 14 वर्ष से अधिक उम्र के बालक–बालिकाएं सम्मिलित हो सकेंगे।

3. महिला सभा, बाल सभा एवं अन्य सभा में लिए गये निर्णय पर ग्राम सभा की बैठक मे अनिवार्य रूप से चर्चा में सम्मिलित किया जावेगा।

22. ग्राम सभा की रिपोर्ट

1. ग्राम पंचायत प्रत्येक वर्ष ग्राम पंचायत विकास योजना, वार्षिक बजट, आय–व्यय का वार्षिक प्रतिवेदन, ग्राम पंचायत मे संचालित योजनाओ के वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के प्रतिवेदन का ग्राम सभा से अनुमोदन करायेगा।

2. ग्राम सभा कोष के वार्षिक आय व्यय का प्रतिवेदन ग्राम सभा की अप्रैल माह के अनिवार्य बैठक मे अनुमोदन कराई जायेगी।

अध्याय – 3
कार्यकारी समितियाँ

23. संसाधन, योजना और प्रबंधन समिति (RPMC)

1. ग्राम सभा की एक स्थायी समिति संसाधन, योजना और प्रबंधन समिति (RPMC) होगी।
2. RPMC मे ग्राम सभा से 10 सदस्य होंगे जिनका चयन ग्राम सभा के सदस्यो मे से किया जायेगा। जिसमे न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्य महिला होंगी। न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जनजाति वर्ग से होंगे। 50 प्रतिशत सदस्य निर्वाचित पंचो मे से होंगे। किसी ग्राम सभा में 50 प्रतिशत से कम पंच होने पर शेष सदस्यो की नियुक्ति ग्राम सभा द्वारा की जावेगी।
3. ग्राम सभा के अध्यक्ष RPMC के पदेन अध्यक्ष होंगे।
4. RPMC गांव के समग्र विकास हेतु योजना तैयार करेगी तथा योजनाओ के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करेगी।
5. RPMC के परामर्श अनुसार पंचायत सचिव सामुदायिक संपत्तियों को एक रजिस्टर में दर्ज करेगी, जिसमें उनका स्वामित्व, उपयोग, उद्देश्य स्पष्ट रूप से दर्ज होगा।
6. किसी भी सामुदायिक संपत्तियों के स्वामित्व, उपयोग, उद्देश्यों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्रयास करेगा।

24. शांति एवं न्याय समिति

1. ग्राम सभा की स्थायी समिति शांति एवं न्याय समिति होगा। इस समिति मे अधिकतम 10 सदस्य होंगे। समिति मे न्यूनतम 50 प्रतिशत महिला सदस्य होंगी। न्यूनतम 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के सदस्य होंगे। ग्राम सभा के अध्यक्ष ही शांति एवं न्याय समिति का पदेन अध्यक्ष होगा ।

3. शांति एवं न्याय समिति पड़ोसी गाँवों के साथ आपसी समन्वय एवं परामर्श से विवादो का समाधान कर एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण करेगी।
4. गाँव की शांति भंग करने वाली घटनाओं की जाँच कर तत्काल कार्रवाई करेंगी और ग्राम सभा को रिपोर्ट करेगी।

25. जिला जनजातीय मंत्रणा परिषद

ग्राम सभाओं के बीच समान उद्देश्य हेतु आपसी संवाद को मजबूत करने एवं ग्राम सभाओं के बीच विवादों के समाधान के लिए जिला स्तर पर जिला पंचायत के निर्वाचित अनुसूचित जनजातियो के सदस्यो की एक समिति गठित कि जायेगी जिसे **जिला जनजातीय मंत्रणा परिषद** के नाम से जाना जायेगा। इस परिषद का अध्यक्ष संबंधित जिला पंचायत के अध्यक्ष होंगे। किंतु ऐसे जिले जिसके कुछ जनपद ही 5वी अनुसूची क्षेत्र मे आता हो, ऐसे जिला एवं जनपद पंचायतो के निर्वाचित अनुसूचित जनजाति के सदस्यो से जिला स्तर पर समिति बनेगी, जिसका अध्यक्ष समिति के सदस्यो से चुना जायेगा। जिला पंचायत का कार्यालय इन समितियों के कार्यालय के रूप मे कार्य करेगा।

कार्यकाल – जिला जनजातीय मंत्रणा परिषद का कार्यकाल पंचायत के कार्यकाल के अनुरूप होगा।

अध्याय – 4
ग्राम सभा के संसाधन, कृत्य एवं योजनाएँ

26. वार्षिक और दीर्घकालिक योजना

1. जिला पंचायत, जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट निर्माण हेतु संविधान के 11वी अनुसूची मे उल्लेखित 29 विषयो से संबंधित विभागो द्वारा अपने विभाग के बजट की जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी। संलग्न परिशिष्ट अनुसार तथा शासन द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशो तथा परिशिष्ट–1 में दर्शित समय सारिणी अनुसार कार्य किये जायेंगे।
2. इस हेतु शासन द्वारा समय–समय पर पृथक से निर्देश जारी किये जायेंगे।
3. नियम के लागू होने के आगामी वर्ष से उक्त रीति से योजना निर्माण की कार्यवाही प्रारंभ किया जाना होगा। तीन वर्ष के भीतर समस्त विभागो के विभागीय बजट के आधार पर उक्त रीति से वार्षिक योजना का निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।
4. शासन का यह प्रयास होगा की प्रत्येक ग्राम पंचायतो के विकास के लिए प्रतिवर्ष विभिन्न विभागो की योजनाओ से कम से कम एक करोड़ की राशि प्राप्त हो सके।
5. विभिन्न विभागो की आजीविका मूलक प्रशिक्षण की राशि शासन द्वारा सीधे ग्राम पंचायतो को अंतरित किये जायेंगे। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के सहमति से शासन द्वारा अनुशंसित प्रशिक्षण संस्थानो अथवा प्रशिक्षको का चयन कर प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान कर सकेंगे।
6. विभागो द्वारा प्रतिवर्ष मई माह तक प्रचलित वित्तीय वर्ष में स्वीकृत बजट मे अनुशंसित अधोसंरचना के कार्यो की जानकारी ग्राम पंचायतवार अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
7. वृहत क्षेत्र विशेष के विकास हेतु कार्य योजना बनाने के लिए जनजातीय मंत्रणा परिषद परामर्श दे सकेगी।

27. ग्राम सभा द्वारा कार्यक्रमों, परियोजनाओं अथवा निर्माण कार्यो का अनुमोदन

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा– 7– (ख) सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए समस्त वार्षिक योजनाओं तथा कार्यक्रमों को ग्राम पंचायत द्वारा कियान्वयन आरम्भ करने से पूर्व अनुमोदित करेगा ।

1. ग्राम पंचायत के लिए यह अनिवार्य होगा कि सभी विभागो एवं संस्थाओ की योजनाओं और परियोजनाओं पर स्वीकृति से पहले सभी संबंधित ग्राम सभाओं की स्वीकृति प्राप्त करे।
2. संबंधित संस्था उस कार्यक्रम अथवा परियोजना से संबंधित पूरी जानकारी शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र मे ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत करेगी।
3. ग्राम सभा संबंधित योजना अथवा परियोजना को स्वीकृत कर सकती है अथवा संशोधन के लिए निर्देशित कर सकती हैं अथवा निरस्त कर सकती हैं।

28. ग्राम सभा को दिये जाने वाले कार्यो के बारे में विवरण

1. ग्राम सभा को गाँव में चल रहे हर काम के बारे में पूरा ब्योरा सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा दिया जाएगा।

2. कार्य की गुणवत्ता, व्यय के प्रमाणीकरण आदि से संबंधित कोई भी आपत्ति ग्राम सभा के समक्ष रखी जा सकती है। ग्राम सभा इस मुद्दे की जांच कर सकती है और सुधार के लिए उचित निर्देश दे सकती है।

3. ग्राम सभा की अगली बैठक मे ग्राम सभा के निर्देशो के पालन की समीक्षा की जायेगी।

29. व्यय की जानकारी

1. गांव में किसी भी विभाग या संस्था द्वारा व्यय की गई राशि के संबंध में ग्राम सभा को जानकारी देना होगा।

2. किसी भी कार्य की पूर्णता प्रमाण पत्र लगाने से पूर्व ग्राम सभा से कार्यो की गुणवत्ता एवं उस पर व्यय आदि के संबंध मे प्रमाण पत्र लिया जाकर पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न किया जायेगा।

30. स्थानीय योजनाओं, संसाधनों पर नियंत्रण के संबंध में ग्राम सभा की शक्ति

1. आदिवासी उपयोजना की 10 प्रतिशत राशि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओ को हस्तांतरित की जायेगी। जिसमे 7 प्रतिशत ग्राम पंचायत, 1.5 प्रतिशत जनपद पंचायत तथा 1.5 प्रतिशत जिला पंचायत का होगा। राशि का वितरण जनसंख्या एवं भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर होगा।

2. जनजातीय उप योजना के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओ को हस्तांतरित राशि मे से कोई भी कार्य यथा संभव ग्राम पंचायत के माध्यम से ही कराया जा सकेगा साथ ही कोई कार्य ग्राम पंचायत के अतिरिक्त किसी अन्य शासकीय एजेंसी के माध्यम से भी कराया जा सकता है।

3. एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना की सभी परियोजना सलाहकार समिति में उस क्षेत्र की ग्राम सभा के कम से कम 5 अध्यक्ष एवं परियोजना क्रियान्वयन समिति में ग्राम पंचायत के 5 सचिव अनिवार्य रूप से सम्मिलित रहेगे।

4. किसी भी कार्यक्रम, योजना और परियोजना को जनजातीय उपयोजना के तहत भारत सरकार को प्रस्तावित किये जाने से पहले जनजातीय मंत्रणा परिषद से प्रस्ताव लेना अनिवार्य होगा।

5. कैम्पा एवं डीएमएफ से प्राप्त राशि का 50 प्रतिशत राशि खनन प्रभावित ग्राम पंचायत क्षेत्र में, 25 प्रतिशत राशि जनपद पंचायत क्षेत्र तथा 25 प्रतिशत राशि जिला पंचायत क्षेत्र में व्यय किया जाना होगा । इसके लिए शासन द्वारा पृथक से विस्तृत निर्देश जारी किया जायेगा।

6. कैम्पा एवं डीएमएफ से प्राप्त राशि से लिया जाने वाला कार्य अनिवार्य रूप से ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/जिला पंचायत विकास योजना मे शामिल किया जाना होगा।

31. ग्राम सभा /ग्राम पंचायत कोष

1. प्रत्येक ग्राम पंचायत मे दो कोष होंगे –

1.1 पंचायत निधि :– जिसमें केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओ से प्राप्त राशि, अनुदान, जिला पंचायत, जनपद पंचायत से प्राप्त राशि, आदिवासी उपयोजना, से ग्राम पंचायत को प्रदाय की गई राशि, फीस की राशि रखी जायेगी।

1.2 ग्राम सभा कोष :– यह कोष प्रत्येक ग्राम सभा के लिए पृथक–पृथक संधारित की जावेगी। इसमे ग्राम सभा क्षेत्र मे गौण खनिज के नीलामी की राशि, लघुवनोपज से प्राप्त रायल्टी, तालाब लीज, तथा ग्राम सभा द्वारा आरोपित जुर्माना एवं स्वयं के आय के स्त्रोत से प्राप्त राशि रखी जायेगी।

2. यह खाते किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवाये जायेंगे।

3. खातों का संचालन ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

4. पंचायत निधि से राशि आहरण हेतु ग्राम पंचायत के सदस्यो के बहुमत से संकल्प पारित होना आवश्यक होगा।

5. ग्राम सभा कोष से राशि आहरण करने हेतु संबंधित ग्राम सभा के अनुमोदन से प्रस्ताव पारित हेाना आवश्यक होगा।

6. पंचायत निधि तथा ग्राम सभा कोष का लेखा छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत लेखा नियम 1999 के प्रावधानो के अनुसार रखा जावेगा तथा नियमानुसार इनका अंकेक्षण किया जायेगा।

32. मानव संसाधन

1. उक्त नियम के लागू होने के एक साल के भीतर शासन द्वारा ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत के सुचारू संचालन के लिए न्यूनतम अतिरिक्त दो मानव संसाधन उपलब्ध कराया जायेगा।

2. ग्राम सभा अपने क्षेत्र मे पंचायत राज संस्थाओ को प्रत्यायोजित 29 विषयो से संबंधित विभागो के मैदानी कर्मचारियों के कार्यो का पर्यवेक्षण करने मे ग्राम सभा सक्षम होगी।

3. ग्राम पंचायत के सचिव, रोजगार सहायक तथा शासन द्वारा ग्राम पंचायत हेतु नियुक्त अन्य कर्मचारियो के गोपनीय प्रतिवेदन, उपस्तिथि पत्रक, अवकाश स्वीकृति, दैनिक कार्यो की समीक्षा संबंधित कार्य ग्राम सभा के परामर्श से ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा।

4. ग्राम पंचायत हेतु नियुक्त 29 विषयों से संबंधित विभागो के कर्मचारियों के निश्चित दिवसो मे उपस्थिति ग्राम सभा के परामर्श से सुनिश्चित की जायेगी। कर्मचारियो की अनुपस्थिति की स्थिति मे संबंधित विभाग के उच्चाधिकारियो को सूचित किया जायेगा।

5. ग्राम पंचायत लगातार अनुपस्थित रहने की दशा मे संबंधित विभाग के कर्मचारियो के उपर 200 रूपये प्रति अनुपस्थिति दिवस अर्थदण्ड लगा सकेंगी जो अधिकतम 5000 रूपये तक हो सकती है।

6. 29 विषयों से संबंधित विभागो के जिला स्तरीय अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन के संबंध में जिला पंचायत अध्यक्ष अपना अभिमत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को संसूचित करेंगें। इसके आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा प्रथम मतांकन किया जायेगा।

33. सामाजिक क्षेत्र की समीक्षा

1. ग्राम सभा के द्वारा स्थानीय संस्थाओं जैसे कि आंगनबाडी केन्द्रो, स्कूलों, अस्पतालों आदि की समीक्षा करेगी तथा उनमे आवश्यक सुधार के लिए निर्देश दे सकेंगी।

2. ग्राम सभा ग्राम पंचायतो की स्थायी समितियों के माध्यम से इन संस्थाओ का निरीक्षण कर सकेगी।

34. नियमों का उल्लघंन एवं दण्ड

1. ग्राम सभा अपने क्षेत्राधिकार मे कार्यरत विभिन्न विभागो के मैदानी शासकीय कर्मचारी के द्वारा उक्त नियमो के उल्लंघन अथवा अवहेलना करने पर उन्हे सुनवाई का उचित अवसर देते हुए कार्यवाही प्रस्तावित कर सकता है।

2. सूचना प्राप्त होने के बाद भी यदि वह व्यक्ति लगातार दो अवसरो पर ग्राम सभा के समक्ष बिना कारण बताए गैरहाजिर रहता है तो ग्राम सभा एकपक्षीय निर्णय ले सकेगी।

3. यदि कोई शासकीय कर्मचारी अथवा अधिकारी ग्राम सभा द्वारा दोषी पाया जाता है तो ग्राम सभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर उसकी एक प्रति जिला कलेक्टर को भेजेगी।

4. ऐसा प्रस्ताव प्राप्त होने पर कलेक्टर संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात दोषी पाये जाने तक उनके विरूद्ध अनुशासनात्म कार्यवाही करेंगे, तथा उक्त कार्यवाही को उस व्यक्ति की सेवा पुस्तिका में दर्ज करने हेतु निर्देश दे सकेंगे।

5. अगर ग्राम सभा द्वारा किसी शासकीय कर्मचारी अथवा अधिकारी को हटाने की अनुशंसा की जाती है तो ऐसे व्यक्ति को जिला कलेक्टर द्वारा सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् नियमानुसार स्थानांतरण की कार्यवाही करेगा।

35. पंचायत व सरकारी विभाग द्वारा ग्राम सभा के निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करना

1. सरकार के योजनाएं एवं कार्य ग्राम सभा के परामर्श से संचालित किये जायेंगे। दोनों मे विरोधाभास होने की स्थिति मे आपसी सहमति से कार्य संचालित किये जायेंगे।

2. ग्राम सभा के निर्णय से यदि सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न होती है, तो संबंधित विभाग विवादित मामले पर कार्रवाई को स्थगित कर देगा और ग्राम सभा के फैसले पर पुनर्विचार हेतु आवेदन करेगा।

3. यदि विभाग ग्राम सभा के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो 30 दिवस के भीतर इस मामले को जिला कलेक्टर को प्रेषित करेगा। जिला कलेक्टर एक माह के भीतर प्रकरण का निराकरण करेगा। कलेक्टर का निर्णय अंतिम होगा।

36. ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही

ग्राम सभा की सीमा के भीतर के किसी भी संसाधन, अधिकार या नागरिक के हित के बारे में ग्राम सभा द्वारा कोई भी जानकारी मांगे जाने पर सभी विभाग तथा किसी भी कानून के तहत पंजीकृत सभी संस्थान, निगम, कंपनी, समिति या कारोबारी 30 दिवस के भीतर सम्पूर्ण जानकारी देना बाध्यकारी होगा।

37. पंचायत पदाधिकारियो के आदर्श निर्वाचन में ग्राम सभा की भूमिका

1. पंचायत के निर्वाचन में ग्राम सभा ऐसा आदर्श प्रस्तुत करने का प्रयास करेगी, जिसमें आम सहमति की परंपरा से पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव निर्विरोध हो सके।

2. ग्राम सभा ऐसे प्रयास करेगी जिससे चुनाव खर्च पर अंकुश लगे और उम्मीदवार निर्धारित खर्च सीमा का ईमानदारी से पालन कर सके।

अध्याय –5

प्राकृतिक संसाधनों (जल, जंगल, जमीन) का प्रबंधन/पर्यवेक्षण/संवर्धन–

38. जल संसाधनों एवं लघु जल निकायों की योजना और प्रबंधन

1. गांव की सीमा क्षेत्र के भीतर स्थित लघु जल निकाय के अन्तर्गत तालाब, पोखर, डबरी, छोटी नदी, नाले आदि संरचनाएं जो किसी भी नाम से जाना जाता हो, का उपयोग एवं संरक्षण ग्राम सभा के परामर्श से किया जायेगा।

2. ग्राम सभा के सीमा क्षेत्र के भीतर अधिकतम 0–10 हेक्ट. तक के जल निकायों का प्रबंधन ग्राम पंचायत, 10 से अधिक किंतु 100 हेक्ट. तक जनपद पंचायत तथा 100 से अधिक किंतु 2000 हेक्ट. तक जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा।

3. एक से अधिक ग्राम सभा सीमा क्षेत्र के लघु जल निकायो के संबंध मे संयुक्त ग्राम सभा से परामर्श लिया जायेगा।

4. जल संसाधनों का प्रबंधन और उपयोग ऐसा होगा कि इन्हें भावी पीढ़ियों के लिए अक्षुण्ण रखा जाए और इस संसाधन पर सभी ग्रामीणों का समान अधिकार हो।

5. ग्राम सभा गांव में उपलब्ध पानी के विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग को अपनी परंपरा और प्रचलित नियम कानूनों की भावना का ध्यान रखते हुए निम्न प्राथमिकता कम मे उपयोग करने के लिए सक्षम होगी –

    1. लोगों के लिए पीने का पानी,
    2. जानवरों/जीवों/पशु–पक्षियों के लिए पानी
    3. निस्तार प्रयोजन
    4. कृषि उपयोग
    5. अन्य प्रयोग।

6. ऐसी प्राथमिकता तय करते समय भूमिहीन व्यक्तियों के जल अधिकार का ध्यान रखा जायेगा जिससे उनकी आजीविका और पोषण पर कोई प्रभाव न पडे।

7. लघु जल निकाय के संधारण, मरम्मत, गहरीकरण, आदि के लिए ग्राम सभा से परामर्श लिया जायेगा।

39. सिंचाई प्रबंधन

1. सिंचाई जल के उपयोग एवं वितरण का नियंत्रण संबंधित विभाग ग्राम सभा के परामर्श से करेगा।

2. सिंचाई के लिए पानी का उपयोग ऐसा होगा कि सभी के लिए समान पहुंच की व्यवस्था हो।

3. सिंचाई प्रबंधन में अगर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसे ग्राम सभा की शांति एवं न्याय समिति के समक्ष रखा जायेगा। ग्राम सभा स्तर पर विवाद का समाधान नही होने की स्थिति में जनजातीय मंत्रणा परिषद के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है। इनके निर्णय के विरूद्ध कलेक्टर के समक्ष अपील की जा सकती है।

40. मत्स्य पालन

1. ग्राम सभा अपने नियंत्रण क्षेत्र में शासकीय/सामुदायिक लघु जल निकायों मे मत्स्य पालन का नियंत्रण/ नियमन करने के लिए सक्षम होगी।

2. स्थानीय परम्पराओं के अनुसार मछलियों की उपलब्धता व प्रजातियो की विविधता को बनाये रखने के लिए ग्राम सभा मत्स्य आखेट के संबंध में नियंत्रण कर सकेगी।

3. मत्स्य उत्पादन का पहला उद्देश्य लोगों को विशेषकर बच्चों, गर्भवती महिलाओं, अस्वस्थ लोगों के लिए पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना होगा इसके अतिरिक्त उत्पादित मछली को खुले बाजार में बिक्री हेतु निर्णय ले सकती है।

4. ग्राम सभा की संसाधन योजना और प्रबंधन समिति पूरे जलाशय में मत्स्य आखेट से जुड़ी सभी बातों के लिए जिम्मेदार होगी जैसे :– जल की स्वच्छता, मछली बीज, मछुवारों के लिए नाव, जाल आदि मछली पकड़ना और उसकी बिक्री करना।

5. ग्राम सभा जलाशय से निकलने वाली मछलियों पर शुल्क लगाने के लिए सक्षम हैं। शुल्क की समस्त राशि ग्राम सभा कोष मे जमा होगी।

6. मछलियो के किसी भी नये प्रजाति के पालन एवं उसके उपयोग से पूर्व ग्राम सभा से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

41. जल संसाधनों में प्रदुषण

1. शासकीय / सामुदायिक अथवा निजी जल निकायो मे किसी भी प्रकार के प्रदुषण को रोकने हेतु ग्राम सभा निर्देश जारी कर सकती हैं।

2. ग्राम सभा के निर्देशो का पालन नही होने की स्थिति मे इसकी सूचना जिला कलेक्टर को भेजेगी। कलेक्टर ऐसी सूचना प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर नियमानुसार कार्यवाही करेंगे।

लघु वनोपज

42. लघु वनोपज का प्रबंधन व नियमन

1. ग्राम सभा क्षेत्र मे पारंपरिक रूप से लघु वनोपज का संग्रहण, लघु वनोपज का स्वामित्व तथा प्रबंधन, वन अधिकार की मान्यता अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) (ग) के अनुसार होगा।

2. ग्राम सभा अपने क्षेत्र में मिलने वाली लघु वनोपज के संग्रहण, दोहन एवं उपयोग पर नियंत्रण रख सकेगी।

3. ग्राम सभा वनोपज की सीमित मात्रा को देखते हुए परंपरा से वनोपज संग्रहण करने वाले ग्रामीणों से भिन्न अन्य लोगों के लिए वनोपज का संग्रहण प्रतिबंधित कर सकती है या संग्रह के लिए चक्रीय व्यवस्था लागू कर सकती है अथवा आर्थिक रूप से कमजोर और संसाधन विहिन परिवार को ही उसका उपयोग करने के लिए अधिकृत कर सकती हैं।

4. ग्राम सभा अपने क्षेत्र में लघुवनोपज के प्रसंस्करण के लिए कोई भी इकाई स्थापित करने की अनुमति देने के लिए सक्षम होगी।

5. बिकी हेतु एकत्रित की गई किसी भी लघुवनोपज को ग्राम सभा के क्षेत्र से बाहर ले जाने के पहले संबंधित विभाग, संस्था या व्यापारी को संसाधन योजना एवं प्रबंधन समिति को उसका ब्यौरा देते हुए निकासी प्रपत्र / अभिवहन पास प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

43. लघु वनोपज की खरीदी–बिक्री और रायल्टी/शुल्क संबंधी निर्णय

1. एक या एक से अधिक ग्राम सभाएँ संयुक्त रूप से वन विभाग के परामर्श से लघु वनोपज की खरीदी के लिए न्यूनतम मूल्य तय कर सकते हैं। जो शासन द्वारा इस हेतु निर्धारित मूल्य से कम नही होगा।

2. किसी भी विभाग या संस्था द्वारा ग्राम सभा के क्षेत्र के भीतर किसी भी अधिनियम, नियम या प्रशासनिक निर्देशों के आधार पर वनोपज संग्रहण के पूर्व ग्राम सभा से सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

3. ग्राम सभा स्वयं या शासन द्वारा गठित समूह या फेडरेशन के माध्यम से लघुवनोपजों का विपणन कर सकती है।

4. उक्त नियमो के लागू होने के पश्चात ग्राम पंचायत स्तर वनोपज के संग्रहण एवं विपणन से संबंधित गठित अन्य सभी समिति, समूह या फेडरेशन (जैसे–संयुक्त वन प्रबंधन समिति) भंग मानी जायेगी।

44. वनो के संरक्षण व विकास के लिए योजना

1. ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र में स्थित वनों के संरक्षण की जिम्मेदारी ग्राम सभा की होगी।

2. ग्राम सभा वन संसाधनो के संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन त्च्डब के माध्यम से करेगी।

3. ग्राम सभा अपने क्षेत्रों से गुजरने वाली लकड़ी या वन उपज के बारे में पूछताछ कर सकती है। यदि पूछताछ पर अवैध संचालन का संदेह है, तो ग्राम सभा मौके पर रोकने के लिए सक्षम होगी।

4. परिवार और सामुदायिक जरूरतों जैसे निस्तार, चराई, जलावन इत्यादि तथा खास जरूरतों जैसे कृषि उपकरण बनाने के लिए लकडी, बांस बल्ली इत्यादि तथा पारंपरिक संस्कार (जात्रा, करसाड, पर्व, पंडुम/मंडप, पेनसेवा आदि) में लगने वाले पदार्थो को वन से निकालने के लिए ग्राम सभा व्यवस्था बनाएगी।

5. प्रत्येक ग्राम सभा अथवा ग्राम सभा समूह अपने अपने क्षेत्रों में अपने सदस्यों के हितों, वनों के संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन, पर्यावरण में सुधार और स्थानीय स्तर पर रोजगार बढानें के उद्देश्य से उपयुक्त कार्यक्रम नियमानुसार बनाने के लिए सक्षम है।

45. वन विभाग के कार्यक्रम को लागू करने से पूर्व ग्राम सभा की अनिवार्य सहमति

1. वनों और वनोपज के दोहन के लिए विभागीय कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने से पहले वन विभाग के लिए ग्राम सभा से सहमति करना अनिवार्य होगा।

2. सहमति में यह ध्यान रखना होगा कि जंगल का दोहन लोगों की सहमति से चलाई गई योजना के अनुरूप हो, और ऐसे कोई पौधे पेड़ न काटे जाएँ जो स्थानीय लोगों के लिए उपयोगी हों और कोई वन उपज का अवैध निर्यात न हो।

46. वन अपराध संबंधी कार्यवाही

1. यदि स्थानीय वन अधिकारी को किसी ग्राम सभा के क्षेत्र में वन अपराध या उसके होने के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो वह ग्राम सभा के शांति एवं न्याय समिति को सूचित करेगा और की जाने वाली कार्यवाही में उसे सम्मिलित करेंगे।

2. ग्राम सभा द्वारा अधिकृत शांति एवं न्याय समिति संलग्न **परिशिष्ट–3** अनुसार मामलो को अपनी पारंपरिक न्याय व्यवस्था के अनुसार निराकृत कर सकेगी।

3. उक्त समिति के निर्णय के विरूद्ध ग्राम सभा में अपील की जा सकेगी।

4. ग्राम सभा के निर्णय से संतुष्ट नही होने पर प्रचलित विधि के प्रकिया अनुसार अपील की जा सकेगी।

5. वन अपराध के गंभीर मामले एवं ऐसे मामले जो संलग्न **परिशिष्ट–3** मे संलग्न नही है, के संबंध मे सूचना मिलने पर वन अधिकारी/कर्मचारी द्वारा, तत्काल कार्यवाही की जा सकती है, की गई कार्यवाही एवं जरूरी हो तो, प्राथमिकी दर्ज कर एफआईआर की कापी ग्राम सभा के पास 48 घंटे के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

47. भूमि प्रबंधन का रिकार्ड संधारण

1. पटवारी एवं बीट गार्ड गांव की सीमा के भीतर के समस्त राजस्व और वन अभिलेख की अद्यतन प्रति वर्ष में एक बार ग्राम सभा को उपलब्ध करवाएंगे।

2. ग्राम सभा भूमि के अभिलेखों की समीक्षा करेगा। ग्राम सभा किसी प्रभावित व्यक्ति के अथवा शासकीय भूमि के अभिलेखो में त्रुटि होने पर शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा में त्रुटि सुधार हेतु पटवारी/बीट गार्ड को निर्देशित करेगा।

3. भूमि के उपयोग मे परिवर्तन होने से पूर्व ग्राम सभा से सहमति लेना होगा। भूमि हस्तांतरण, लीज, पट्टा, अनुबंध कृषि, बिकी, गिरवी अथवा अन्य किन्ही कारणो से भूस्वामी परिवर्तित होने की स्थिति मे ग्राम सभा को सूचना देना होगा।

4. ग्राम सभा सुनिश्चित करेगी कि शासकीय कार्यो में उपयोग, भूअधिग्रहण एवं नीलामी के अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति से संबंधित कोई भी भूमि गैर जनजाति व्यक्ति को हस्तांतरित नही होगी।

5. अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के जमीन की नीलामी की स्थिति में ग्राम सभा उक्त भूमि को अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को विकय करने की पहल करेगी। अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति नही मिलने पर प्रचलित नियमानुसार विकय/हस्तांतरण किया जा सकता है।

6. अनुसूचित जनजाति की ऐसी कोई भूमि जो उत्तराधिकार या अन्य किन्ही कारणो से गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को अंतरण की गई हो, ऐसी भूमि को अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति अथवा उसके परिवार को वापस अंतरण करने हेतु ग्राम सभा पहल करेगी।

48. **भूमि–अधिग्रहण/शासकीय कय/हस्तांतरण से पहले ग्राम सभा की सहमति**

1. शासन मे प्रचलित सभी कानूनो के अंतर्गत कोई भूमि अधिग्रहण करने से पूर्व न्यूनतम 50 प्रतिशत कोरम में ग्राम सभा से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

2. ऐसे ग्राम सभाओ मे ग्राम सभा के सदस्यो तथा शासकीय व्यक्तियों अथवा शासन द्वारा परियोजना से संबंधित अधिकतम अधिकृत दो व्यक्तियो के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्तियो की उपस्थिति प्रतिबंधित होगी।

3. भूमि अधिग्रहण के सभी मामलों में ग्राम सभा मे पूर्व सूचना आवश्यक होगी, ग्राम सभा की कार्यवाही दबावमुक्त वातावरण मे की जायेगी तथा ग्राम सभा मे सभी निर्णय लिखित मे होंगे।

4. सरकार द्वारा किसी भी कानून के तहत भूमि अधिग्रहण करते समय परियोजना का विस्तृत विवरण ग्राम सभा के समक्ष रखे जायेंगे। उक्त विवरण का प्रारूप शासन द्वारा पृथक से जारी किया जायेगा, जिसमे परियोजना का प्रभाव, पुनर्वास, आजीविका आदि शामिल होगा।

5. ग्राम सभा के समक्ष भूमि अधिग्रहण की शर्तों से संबंधित प्राधिकरण या सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव पर ग्राम सभा में सहमति नही बन पाने की स्थिति में दोबारा ऐसा प्रस्ताव 6 माह के पश्चात ही ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा। इसके पश्चात भूमि अधिग्रहण संबंधी किसी विवाद पर सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के समक्ष अपील किया जा सकेगा।

49. भूमि की वापसी

1. जहां ग्राम सभा को स्वयं या किसी की शिकायत से यह मालूम होता है कि अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति की ऐसी जमीन जो उसके पूर्वजों अथवा स्वयं द्वारा उपभोग किया जा रहा था या जिस पर उस व्यक्ति का पट्टा था, किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में है, तो उस मामले में ग्राम सभा छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 170 ख–2 (क) के तहत कार्यवाही करेगी।

2. विवादित भूमि पर कब्जा वापिस दिलाने के लिए ग्राम सभा की शांति एवं न्याय समिति मौके पर जाएगी और संबंधित व्यक्तियों को ग्राम सभा के निर्णय की सूचना देते हुए जिस पक्ष के हक में ग्राम सभा द्वारा निर्णय दिया गया है ऐसे व्यक्ति को विवादित भूमि पर कब्जा दिलवायेगी।

3. यदि ग्राम सभा ऐसी भूमि पर कब्जा दिलवाने में असमर्थ रहती है या कब्जा दिलवाने में कोई व्यक्ति रूकावट पैदा करता है तो ग्राम सभा इसकी सूचना अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को देगी।

4. ग्राम सभा से ऐसी सूचना मिलने पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) 3 महीनें के भीतर अथवा कृषि का मौसम आने के पहले, जो भी पहले हो, कब्जा प्रत्यावर्तित करने की कार्यवाही को पूरा करेगा तथा की गई कार्यवाही से ग्राम सभा को अवगत करवाएगा।

50. अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजना प्रभावित व्यक्तियों का पुर्नवास

1. शासन द्वारा जारी प्रचलित पुर्नवास नीति के प्रावधान अनुसार परियोजना प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों का पुर्नवास होगा।

2. भूमि अधिग्रहण करने वाली विभाग/एजेंसी ग्राम सभा के समक्ष पुनर्वास का सम्पूर्ण विवरण लिखित एवं मौखिक में प्रस्तुत करेगी। एजेंसी ग्राम सभा द्वारा पूछे गये सभी सवालों के जवाब देगी तथा लिखित उत्तर ग्राम सभा मे प्रस्तुत करेगी।

3. यह प्रयास किया जायेगा शासकीय पुर्नवास नीति के अतिरिक्त दोनो पक्षो के आपसी समन्वय से पुर्नवास की नीति तय हो।

4. यदि ग्राम सभा को यह लगता है कि उसके द्वारा सुझाए गए बिन्दुओं के अनुसार पुर्नवास कार्य नही हो रहा है तो वह जिला कलेक्टर को लिखित में सूचना देगी। जिला कलेक्टर के लिए यह अनिवार्य होगा की वह तीन माह के भीतर ऐसी सूचना पर कार्यवाही कर ग्राम सभा को लिखित में सूचना दे।

5. पुर्नवास या पुनर्व्यस्थापन पैकेज में निम्नलिखित बाते ध्यान रखी जाये–

1. अनुसूचित क्षेत्र के प्रत्येक प्रभावित परिवार को सिंचित भूमि के आबंटन में प्राथमिकता दी जायेगी।

2. प्रत्येक परिवार को उनके वार्षिक रूप से वनोपज संग्रहण की मात्रा और दिवस के अनुसार अतिरिक्त न्यूनतम कृषि मजदूरी क्षति पूर्ति के रूप में दिया जायेगा। जो प्रति परिवार 50000.00 रू. प्रतिवर्ष से अधिक नही होगी। पुनर्वास पैकेज तय करते समय उक्त राशि को न्यूनतम 30 वर्ष हेतु गणना मे शामिल किया जा सकेगा।

3. अनुसूचित जनजाति के प्रत्येक प्रभावित परिवार को यथासंभव विस्थापन क्षेत्र के निकटतम उनके द्वारा चयनित प्राकृतिक क्षेत्र मे एक सघन सामाजिक समूह के रूप मे किया जायेगा जिससे उनकी भाषाई एवं सांस्कृतिक अस्तित्व बना रहे।

खदान एवं खनिज का प्रबंधन

51. गौण खनिजों की योजना के लिए ग्राम सभा की शक्ति

1. ग्राम सभा अपने क्षेत्र में सभी गौण खनिजों के उत्खनन और उपयोग की योजना और प्रबंधन के लिए सक्षम होगी।

2. ग्राम सभा त्व्डब्‍ के माध्यम से इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा।

3. ग्रामीण अपनी पारंपरिक जरूरतों के अनुसार ग्राम सभा की अनुमति से गौण खनिजों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

4. ग्राम सभा स्थानीय आवश्यकता के अनुसार गौण खनिजो के उपयोग की सीमा तय कर सकती है, और इसके लिए रायल्टी भी लगा सकती है।

5. ग्राम सभा उत्खनन से होने वाले दुष्प्रभाव को ठीक करने हेतु निर्देश दे सकती है। जैसे– गड्ढों को भरना, पेड़ों को लगाना आदि।

6. ग्राम सभा क्षेत्र में अवैध खनन को रोकने हेतु ग्राम सभा शांति एवं न्याय समिति के माध्यम से कार्यवाही कर सकेगी।

7. ग्राम सभा द्वारा कार्यवाही नही कर सकने की स्थिति मे प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को प्रेषित किया जायेगा जो 15 दिवस के भीतर कार्यवाही कर ग्राम सभा को सूचित करेंगे।

8. 15 दिवस के भीतर कार्यवाही नही करने पर कलेक्टर को प्रेषित किया जायेगा।

52. गौण खनिजों का व्यवसायिक उपयोग

1. शासन मे प्रचलित कानूनो के अंतर्गत गौण खनिजों के लीज या पट्टे ग्राम सभा की अनुमति से ग्राम पंचायत द्वारा दिया जायेगा। ऐसे ग्राम सभा हेतु 50 प्रतिशत कोरम आवश्यक होगी।

2. ग्राम सभा पर्यावरण की रक्षा के लिए गौण खनिजों के पट्टों में शर्तें लगा सकती है।

3. गौण खनिज पट्टे के सभी मामलों में ग्राम सभा मे पूर्व सूचना आवश्यक होगी, ग्राम सभा की कार्यवाही दबावमुक्त वातावरण मे की जायेगी तथा ग्राम सभा मे सभी निर्णय लिखित मे होंगे।

4. शासन अथवा कोई एजेंसी किसी प्रचलित कानून अथवा नियम के तहत गौण खनिज पट्टा देते समय परियोजना का विस्तृत विवरण ग्राम सभा के समक्ष रखेंगे। उक्त विवरण का प्रारूप शासन द्वारा पृथक से जारी किया जायेगा, जिसमे परियोजना का प्रभाव, खनन की मात्रा, पर्यावरण पर प्रभाव, प्रदूषण, स्थानीय संसाधनो पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव एवं उनके रोकने के उपाय तथा खनन पश्चात पुर्नस्थापन आदि शामिल होगा।

5. ग्राम सभा के समक्ष गौण खनिज पट्टे के शर्तों से संबंधित प्राधिकरण या सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. ग्राम सभा के निर्णय से प्रभावित अन्य ग्राम सभा, जनजातीय मंत्रणा परिषद मे अपील कर सकते है, अन्य विभाग एवं एजेंसी, अथवा व्यक्ति ग्राम सभा के निर्णय के विरूद्ध कलेक्टर के समक्ष अपील कर सकेंगे।

7. गौण खनिज की नीलामी ग्राम सभा स्वयं कर सकती है अथवा शासन के किसी एजेंसी को अधिकृत कर सकती है।

8. नीलामी से प्राप्त राशि का 50 प्रतिशत राशि, राज्य शासन को, 35 प्रतिशत ग्राम सभा को, 10 प्रतिशत जनपद पंचायत को, तथा 5 प्रतिशत जिला पंचायत को देय होगी। जो प्रत्येक तिमाही मे अंतरित की जायेगी।

9. गौण खनिज के रायल्टी का शतप्रतिशत राशि राज्य शासन को अंतरित की जायेगी।

10. यदि ग्राम सभा को यह लगता है खनन पट्टे की शर्तो का पालन नही हो रहा है तो इसके संबंध में अनुविभागीय राजस्व को लिखित मे सूचना देगी जो सूचना प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर कार्यवाही कर ग्राम सभा को सूचित करेंगे।

शांति एवं सुरक्षा तथा विवाद समाधान

53. शांति एवं सुरक्षा तथा विवाद समाधान में ग्राम सभा की भूमिका –

(क) सामुदायिक परंपराओं और संविधान, कानून और प्रासंगिक नियमों की भावना को ध्यान में रखते हुए, अपने क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, ग्राम सभा का मौलिक कर्तव्य होगा।

(ख) ग्राम सभा अपने क्षेत्र में निम्नलिखित कार्यवाही/कार्यों के लिए सक्षम होगी–

1. भयमुक्त एवं शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखना।
2. आत्म सम्मान की रक्षा और प्रत्येक नागरिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखना।
3. असामाजिक तत्वों गतिविधियों पर जिनमें महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार, सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई–झगड़ा आदि पर रोक लगाना।
4. विवादों का समाधान करना।

ग्राम सभा द्वारा सुने जाने वाले विवाद–

1. ग्राम सभा की शांति एवं न्याय समिति संलग्न **परिशिष्ट–2** अनुसार मामलो की सुनवाई कर सजा देने में सक्षम होगी।

2. उक्त समिति के निर्णय के विरूद्ध ग्राम सभा में अपील की जा सकेगी।

3. ग्राम सभा के निर्णय से संतुष्ट नही होने पर प्रचलित विधि के प्रकिया अनुसार अपील की जा सकेगी।

विवाद समाधान की प्रक्रिया–

1. विवाद का समाधान करते समय, ग्राम सभा या शांति एवं न्याय समिति अपनी परंपरा के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करेगी जो प्रचलित एवं स्थापित विधि के अनुरूप होगा।

2. किसी विवाद की सुनवाई सार्वजनिक रूप से होगी। किंतु ऐसे मामले जिनमे शासन के नियमानुसार व्यक्ति के निजता का ध्यान रखा जाना है, ऐसे मामलो की सुनवाई पृथक से की जा सकती है।

3. अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले, संबंधित सभी पक्षों को कार्यवाही में शामिल किया जायेगा।

4. सभी को अपने विचार व्यक्त करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा।

5. यदि शांति एवं न्याय समिति में किसी मामले पर आम सहमति नही बनती तो ऐसे मामले को ग्राम सभा की अगली बैठक में अपनी अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेगी एवं ग्राम सभा द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

6. किसी भी विवाद को हल करने का मुख्य उद्देश्य विवाद के कारण को पूरी तरह से खत्म करना और गांव में शांति, सौहार्द्र एवं आपसी भाईचारा का माहौल बनाना होगा।

54. ग्राम सभा द्वारा दंड

1. दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को कोई औपचारिक दंड अपवाद स्वरूप ही दिया जायेगा। आमतौर पर ग्राम सभा के समक्ष गलती स्वीकार करना, उसके लिए खेद करना, समुदाय से क्षमा प्रार्थना और भविष्य में गलती न दोहराने का वायदा ही समुचित दंड माना जायेगा।

2. अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखकर ग्राम सभा संलग्न परिशिष्ट–2 अनुसार अधिकतम सीमा तक जुर्माना लगा सकती है।

3. जुर्माना की राशि संबंधित ग्राम सभा कोष मे जमा की जायेगी। जुर्माना अदा करने पर ग्राम पंचायत सचिव द्वारा रशीद दी जायेगी।

4. दंड तय करते समय संबंधित व्यक्ति की आर्थिक और पारिवारिक स्थिति का ध्यान रखना जरूरी होगा।

5. विवाद के कारण अपमान, मनोवैज्ञानिक क्षति सहित किसी भी रूप में, किसी भी तरह का नुकसान उठाने वाले व्यक्ति को दोषी व्यक्ति से दंड के रूप में मुआवजा दिलाने की व्यवस्था की जा सकती है।

55. पुलिस की भूमिका

1. शांति भंग होने की सूचना मिलने पर परिशिष्ट–2 मे उल्लेखित मामलो को छोड़कर अन्य मामलो मे ग्राम सभा से परामर्श कर पुलिस कार्यवाही करेगी।

2. गांव के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पूर्व ग्राम सभा की सहमति ली जायेगी। यदि ग्राम सभा द्वारा सहमति नही दी जाती है, तो पुलिस द्वारा लिखित में ग्राम सभा को कारण बताते हुए गिरफ्तारी की जा सकेगी और उसकी एक प्रति ग्राम सभा को दी जाएगी।

3. गिरफ्तारी के समय शांति एवं न्याय समिति/ग्राम सभा के कम से कम 3 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

4. पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के मामलो मे 15 दिवस के भीतर ग्राम सभा को विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेगी।

5. गिरफ्तारी के समस्त मामलों में पुलिस शांति एवं न्याय समिति को 48 घंटे के भीतर गिरफ्तारी का कारण एवं निरूद्ध किये गये स्थल की जानकारी देगा।

56. ग्राम सभा के निर्णय से असंतुष्ट व्यक्ति द्वारा कार्यवाही

यदि ग्राम सभा के किसी निर्णय से प्रभावित व्यक्ति या समूह को लगता है कि उसके मानवाधिकारों का हनन हुआ है तो ग्राम सभा में अपील कर सकता है। इसके पश्चात ऐसे प्रभावित व्यक्ति पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कर सकता है। ऐसे मामलों में, संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा ग्राम सभा से परामर्श कर आगे की कार्यवाही की जावेगी।

मादक पदार्थ पर नियंत्रण

57. नशीली पदार्थो पर नियंत्रण

1. छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 61 ड.–1 के अनुसार ग्राम सभा को अपने क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर मादक द्रव्यों के विनिर्माण, परिवहन, विक्रय और उपभोग को विनियमित करने तथा प्रतिषिद्ध करने की शक्ति होगी।

2. ग्राम सभा की अनुमति के बिना किसी मादक द्रव्य की कोई नया विनिर्माण शाला अथवा नया निकास नही खोला जाएगा।

3. ग्राम सभा के आदेशो की अवहेलना किये जाने की स्थिति मे प्रचलित कानूनों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

4. ग्राम सभा क्षेत्र मे मादक पदार्थो के निर्माण, उपयोग, विक्रय को नियंत्रित करने मे ग्राम सभा के अधिकारिता को सशक्त करने हेतु आबकारी विभाग द्वारा उक्त नियम के लागू होने के 3 माह के भीतर पृथक से निर्देश जारी किये जायेंगे।

5. ग्राम सभा गांव मे नशा मुक्ति के लिए प्रयास करेगी तथा मद्यपान करने वाले लोगो को समझाइश देकर उनके पुर्नवास का प्रयास करेगी।

श्रम शक्ति नियोजन

58. श्रम शक्ति की योजना बनाने के लिए ग्रामसभा :

1. ग्राम सभा लोगों को साल भर अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए एक कार्य योजना तैयार करेगी। उसे क्रियान्वित करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण से गतिविधियॉ आयोजित करने के लिए सक्षम होगी। स्थानीय मजदूरों को प्राथमिकता दी जा सकेगी।

2. ग्राम सभा लोगों में श्रम के प्रति आदर, मेहनत के प्रति सम्मान तथा सामुदायिक श्रम परंपरा की भावना को मजबूत करने पर बल देगी।

3. सभी विभाग/संस्था द्वारा प्रत्येक काम से संबंधित मस्टररोल हर महीने ग्राम सभा में समीक्षा और सत्यापन के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

59. गॉव के बाहर काम करने वाले श्रमिकों का नियमन

1. राज्य से बाहर काम करने वाले सभी व्यक्ति अपने कार्य के प्रकृति एवं शर्तो की संपूर्ण जानकारी ग्राम सभा को उपलब्ध करायेंगे।

2 इस हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर संधारित रजिस्टर एवं विभाग द्वारा बनाये गये एप मे अपना पंजीयन करायेंगे।

3. गॉव के लोगों को काम के लिए राज्य से बाहर ले जाने वाले व्यक्ति के लिए अनिवार्य होगा कि, व्यक्तियों के साथ किया इकरार/अनुबंध, उनका प्रस्तावित काम, इत्यादि का पूरा विवरण (कहां किस काम के लिए और किन शर्तो पर ले जाने का लिखित या मौखिक करार हुआ है, इत्यादि की पूरी जानकारी) ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

4. ग्राम से बाहर काम में जाने वाले लोगों को कोई समस्या होने पर वह स्वयं या उसके परिवार के अन्य कोई सदस्य अथवा ग्राम सभा का कोई सदस्य ग्राम सभा के शांति एवं न्याय समिति को सूचित कर सकता है। शांति एवं न्याय समिति संबंधित विभागो से परामर्श कर उनकी समस्या समाधान का प्रयास करेगी।

5. शासन द्वारा श्रमिको के कल्याण के लिए प्रारंभ की गई योजनाओ, कानूनी प्रावधान, विधिक सहायता आदि का अधिकतम लाभ श्रमिको को प्राप्त हो, इस हेतु ग्राम सभा प्रयास करेगी ।

60 . कार्यानुसार मजदूरी निर्धारण

1. तय मजदूरी दर को गांव में सार्वजनिक स्थान पर एक बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा।

2. किसी संस्था अथवा निजी व्यक्ति द्वारा अनुबंधित मजदूरी दर से कम दर पर भुगतान किया जाता है या व्यक्ति के श्रम क्षमता से कम दर पर अनुबंध किया जाता है तो इसकी शिकायत प्राप्त होने पर शांति एवं न्याय समिति कार्यवाही कर सकती है।

3. ग्राम सभा मे न्यूनतम मजदूरी से कम दर पर भुगतान करने वाले विभाग अथवा व्यक्ति को शांति एवं न्याय समिति के माध्यम से भुगतान करने हेतु निर्देशित किया जायेगा।

4. निर्देशो का पालन नही किये जाने की स्थिति मे प्रचलित श्रम कानूनो के तहत कार्यवाही करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को सूचित किया जायेगा।

गांव हाट बाजार के प्रबंधन व नियमन

61. गांव के हाट–बाजार का प्रबंधन और नियंत्रण

छ.ग.पं.रा.अधि. 1993 की धारा– 129– (ग) (पांच)– ग्राम के बाजारों तथा मेलों का जिनमें पशुमेला सम्मिलित है, चाहे वे किसी भी नाम से जाने जाएं, ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रबंध किया जायेगा। उक्त हेतु (छ.ग. पंचायत ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर बाजारो तथा मेलो का विनियमन) नियम, 1994 के प्रावधानो के अनुसार किया जायेगा। ग्राम सभा से अनुमति लेगा, साथ ही निम्नलिखित बातो का ध्यान रखा जायेगा।

(अ) बाजार में दुकानदारों और उपभोक्ताओं को पानी, शेड और अन्य भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करायेगा।

(ब) बाजार में हानिकारक वस्तुओं की आमद और बिक्री पर रोक लगा सकता है।

(स) सुनिश्चित करना कि लेनदेन में वजन, माप और भुगतान वास्तविक है।

(द) कीमतों के बारे में जानकारी प्राप्त करना और साझा करना।

(ई) कीमतों के संबंध में धोखाधड़ी या गलत सूचना सहित सभी अनुचित व्यवहारों पर रोक लगा सकता है।

(च) बाजार या उसके आस–पास के क्षेत्र में जुआ, सट्टेबाजी, भाग्य परीक्षण, मुर्गा लड़ाई आदि पर प्रतिबंध लगा सकता है।

(छ) बाजार के दुकानदारों पर कर लगा सकता है, बशर्ते कि बाजार में बेचने के लिए आने वाले छोटे विक्रेताओं पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा। एक छोटे विक्रेता के रूप में अर्हता प्रदान करने के लिए ग्राम सभा सक्षम होगी।

(ज) बाजार में स्थानीय उत्पादो को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

(झ) वस्तुओं में होने वाली मिलावट को रोकने हेतु आवश्यक कदम उठा सकेगी।

(ट) खरीदे और बेचे जाने वाली वस्तुओं की मात्रा पर नियंत्रण रख सकेगी।

(ठ) विलुप्तप्राय / संकट–ग्रस्त या पर्यावरणीय दृष्टि से खतरनाक उत्पादों पर प्रतिबंध लगा सकेगी।

(ढ) गॉव अथवा बाजार क्षेत्र में कार्य करने वाले कोचियों / आढ़तियों / दलालों / मध्यस्थों / बिचोलियों अथवा अन्य किसी भी नाम से पहचाने जाने वाले व्यक्ति जो वस्तुओं की वास्तविक खरीददार एवं बिक्री–कर्ता नहीं है कि गॉव क्षेत्र में कार्य करने हेतु नियम बना सकेगी, उन पर शुल्क लगा सकेगी, उनकी गतिविधियों को नियंत्रित कर सकेगी एवं उन पर जुर्माना लगा सकेगी।

62. हाट–बाजार हाटुम समिति / मार्केट समिति

1. गांव में स्थित बाजार के प्रबंधन के लिए ग्राम सभा अधिकतम दस सदस्यों तक की एक बाजार समिति का गठन कर सकेगी।

2. समिति ग्राम सभा के किसी सदस्य को बाजार अधीक्षक नियुक्त कर सकती है।

3. समिति का कार्यकाल एक वर्ष का होगा जिसे अधिकतम पंचायत के कार्यकाल तक बढाया जा सकता है।

4. बाजार समिति में कम से कम पचास प्रतिशत महिलाये और पचास प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के सदस्य होंगे।

5. बाजार सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण रूप से चले इसकी जिम्मेदारी गांव की बाजार समिति की होगी।

6. किसी भी मामले में विवाद की स्थिति में बाजार समिति के फैसले के खिलाफ ग्राम सभा में अपील हो सकेगी।

7. ग्राम सभा बाजार में व्यापार हेतु लाईसेंस / अनुज्ञप्ति प्रदान करने, लाईसेंस की शर्ते तय करने में सक्षम होगी। लाईसेंस प्रदान करने में स्थानीय व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जावेगी।

8. बाजार के लगने का दिन तथा खुलने व बंद होने का समय व स्थान तय किया जाएगा।

9. बाजार समिति आवश्यकता अनुसार बिल जारी करने मे सक्षम होगी।

साहूकारी पर प्रतिबंध

63. लेन देन पर नियंत्रण, अधिकार क्षेत्र और प्रकिया

1. छत्तीसगढ़ साहूकारी अधिनियम, 2010 की धारा 1 के उपधारा 2 अनुसार "इसका विस्तार निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर होगा।" अर्थात अनुसूचित क्षेत्र में साहूकारी पूर्णतः प्रतिबंधित है।

2. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) एवं सेबी मे पंजीकृत संस्थायें ही अनुसूचित क्षेत्र में कर्ज लेन देन हेतु अधिकृत होंगे।

3. ऐसी संस्थाओ को ग्राम पंचायत भवन या अन्य सार्वजनिक स्थान पर ब्याज की दर के संबंध मे एक सूचना पटल लगाना अनिवार्य होगा।

4. इन संस्थाओ को ग्राम सभा क्षेत्र में दिये जाने वाले ऋण, ब्याज की दर तथा ऋण की शर्तो के संबंध मे प्रतिवर्ष ग्राम सभा मे जानकारी देना आवश्यक है।

5. पंजीकृत संस्थाओ के अतिरिक्त किसी साहूकार द्वारा ऋण देकर किसी व्यक्ति को परेशान किया जाता है तो इसकी शिकायत ग्राम सभा की शांति एवं न्याय समिति को किया जा सकता है।

6. शांति एवं न्याय समिति प्रचलित नियमो के तहत ऐसे साहूकारो के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित कर सकेगी।

7. पंजीकृत संस्थाओ से लिये गये ऋण चुकाने मे असफल होने की स्थिति मे व्यक्ति पर वसूली, भूमि की नीलामी, कुर्की अथवा कानूनी कार्यवाही करने से पहले ग्राम सभा को सूचित करना आवश्यक होगा।

8. ग्राम सभा ऐसे प्रकरणों मे मध्यस्थ की भूमिका निभा सकेगी तथा कर्जदार के न्यूनतम आवश्यकताओ को सुरक्षित रखते हुए कर्ज वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

9. ग्राम सभा यह सुनिश्चित करने के लिए सक्षम हैं कि किसी भी तरह के कर्ज के लिए बंधुवा मजदूरी, अधिया या आने वाली फसल को पहले से तयशुदा भाव पर बेचने के लिये कोई अनुबंध ना कर सके। ऐसी कार्यवाही करने पर ग्राम सभा कर्ज देने वाले व्यक्तियो को उनके कर्ज के भुगतान करने से मना कर सकती है, साथ ही पीड़ित व्यक्तियों को ऐसी स्थिति से मुक्ति दिला सकती है।

64. जैव–विविधता को दृष्टिगत रखते हुए प्राकृतिक संसाधनो का संरक्षण

1. पारंपरिक ज्ञान और जैव विविधता के सतत एवं पोषणीय उपयोग, उनके संरक्षण तथा संवर्धन की योजना बनायेगा।

2. लुप्तप्राय वन्य जीव एवं जैव प्रजातियों का सरंक्षण एवं पुर्नवास कर स्थानीय जैव विविधता का पुनःस्थापना करें।

3. महत्वपूर्ण पारंपरिक वनस्पतियों, पशु–पक्षियों, धरोहरो, वृक्षों, सूक्ष्म जीवों, पवित्र कुंजो एवं जलाशयों का संरक्षण करें।

65. खेती के लिए योजना बनाने के लिए ग्राम सभा

1. ग्राम सभा अपने गांव में कृषि हेतु योजना बनाने और उसका कियान्वयन करने के लिए सक्षम होगी।

2. ग्राम सभा आपसी सहयोग/श्रम के माध्यम से – मिटटी कटाव को रोकने, चराई को विनियमित करने एवं चारगाहों की क्षमता को बढाने, वर्षा जल को संग्रहण कर, उसका उपयोग निस्तार व सिंचाई मे करने मे सक्षम होगी।

3. ग्राम सभा रासायनिक या जैविक खाद, बीज, कीटनाशक दवाईयों, उर्वरक के उपयोग के संबंध मे निर्णय ले सकेगी।

66. गांव के आत्मनिर्भरता हेतु प्रयास

1. ग्राम सभा अपने क्षेत्र मे कार्य करने के इच्छुक सभी व्यस्क सदस्यो को रोजगार उपलब्ध कराने अथवा स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करेगा।

2. विभिन्न शासकीय आजीविका मूलक योजनाओ का लाभ दिलाने का प्रयास करेगी तथा अभिशरण से प्रति माह न्यूनतम कलेक्टर दर की राशि प्राप्त करने हेतु सहयोग करेगी।

3. परंपरागत व्यवसायो मे लगे हुए लोगो को स्थानीय कच्चे माल की रियायती दर पर उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी।

4. ग्रामीणो द्वारा उत्पादित वस्तुओ के विपणन की व्यवस्था करेगी तथा यह प्रयास करेगा की ग्राम की विशिष्ट ज्ञान का प्रसार अन्य क्षेत्रो पर हो सके।

5. गांव मे कठोर श्रम करने मे शारीरिक रूप से अक्षम लोगो जैसे– बुजुर्ग एवं दिव्यांगजनो को कम श्रम के कार्यो मे नियोजित करने का प्रयास करेगी।

6. महिलाओ की आर्थिक स्वालंबन हेतु अनुकूल वातावरण बनाने का पहल करेगी। कार्यस्थल पर शौचालय, पेयजल तथा छोटे बच्चो के लिए झूलाघर आदि की व्यवस्था करने का पहल करेगी।

7. जनजातीय मंत्रणा परिषद के माध्यम से गांव से बाहर जिला स्तर पर कार्य करने वाले दिव्यांगजन तथा महिलाओ के लिए हॉस्टल की व्यवस्था करने का प्रयास करेगी।

8. जनजातीय मंत्रणा परिषद जिले मे स्थापित उद्योगो मे आवश्यक मानव संसाधन का आंकलन करेगी तथा इस हेतु आवश्यक योग्यता की पहचान कर ग्राम सभा के माध्यम से लोगो का प्रशिक्षित कर इन उद्योगो मे नियोजित कराने का प्रयास करेगी।

67. सांस्कृतिक विरासत और परंपरा के अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु कार्यवाही

1. ग्राम सभा व्यक्तियों की परंपराओं तथा रूढियों, उनकी सांस्कृतिक विरासत एवं पहचान को बनाये रखने में सक्षम होगी।

2. पारंपरिक शैक्षणिक व सामाजिक संस्थाओं (गोटूल, धुमकुरिया इत्यादि) तथा आधुनिक शासकीय एवं निजी विद्यालयों के विकास, संरक्षण और संवर्धन हेतु ग्राम सभा सक्षम होगी।

68. अंधविश्वास जादू टोना इत्यादि के मामले

1. ग्राम सभा यह तय करेगी कि किस तरह की पद्धति घटना को अंधविश्वास जादू टोना की श्रेणी में रखा जाए।

2. ग्राम सभा अंधविश्वास और जादू टोना पर रोक लगाने का प्रयास करेगी।

3. ग्राम सभा की बैठकों में अंधविश्वास या जादू से संबंधित मामलों पर विचार किया जा सकता है।

4. अंधविश्वास जादू टोना के मामले में यदि ग्राम सभा में लिए गए निर्णय से कोई व्यक्ति या पक्ष संतुष्ट नहीं होता तो वह जनजातीय मंत्रणा परिषद में उक्त मामले की अपील कर सकता है।

5. अंधविश्वास संबंधी मामलों में पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने से पूर्व संबंधित ग्राम सभा से परामर्श किया जायेगा।

69. विविध

इस नियम के प्रकाशन होने के एक वर्ष के भीतर नियम के विभिन्न कंडिकाओं मे उल्लेख अनुसार शासन के विभिन्न विभाग आवश्यकता पड़ने पर अपने अधिनियम/नियमों मे संशोधन करेंगें, इस हेतु पृथक से निर्देश एवं प्रारूप जारी करेंगे।

70. निरसन

इन नियमों के प्रवृत्त होने पर इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य के अधिसूचित क्षेत्र में प्रवृत्त इन नियमों के तत्स्थानी समस्त नियम निरस्त हो जायेगे।

परन्तु इस प्रकार निरसित किन्हीं भी नियमों के अधीन की गई किसी बात या किसी कार्यवाही के बारे में जब तक ऐसी कोई बात या कार्यवाही इन नियमों की किन्हीं उपबंधों की असंगत न हो यह समक्षा जायेगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई है।

परिशिष्ट—1

क्रमांक	तिथि	अपेक्षित कार्यवाही	स्तर
1	30 जुलाई	विभागो द्वारा विभागीय बजट की जानकारी जिला पंचायत को उपलब्ध करायेगा।	जिला पंचायत
2	15 अगस्त	जिला पंचायत द्वारा जनपद पंचायतो को जानकारी प्रेषित किया जायेगा।	जनपद पंचायत
3	30 अगस्त	जनपद पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत वार जानकारी प्रेषित किया जायेगा।	ग्राम पचायत
4	30 अक्टूबर	ग्राम पंचायतो द्वारा वार्षिक और दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार कर जनपद पंचायत को प्रेषित किया जायेगा।	ग्राम पचायत
5	15 नवम्बर	जनपद पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतो के योजनाओ को संकलित कर जिला पंचायत को प्रेषित किया जायेगा।	जनपद पंचायत
6	30 नवम्बर	जिले की वार्षिक योजना तैयार कर राज्य शासन को प्रेषित किया जायेगा।	जिला पंचायत

परिशिष्ट– 2

नियमों के तहत् ग्राम सभा द्वारा आईपीसी के तहत् अपराध एवं सजा

क्रमांक	आईपीसी के तहत् धारा	अपराध	अधिकतम सजा
1.	160	शांति भंग।	100 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
2.	264	वजन तोलने के लिए कपटपूर्ण उपयोग।	500 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
3.	265	गलत बॉट अथवा मापक का कपटपूर्ण उपयोग।	500 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
4.	266	गलत बॉट अथवा मापक का कब्जे में होने पर।	200 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
5.	267	गलत बॉट अथवा मापक बनाना अथवा बेचना।	1000 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
6.	269	ऐसा लापरवाही पूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए खतरनाक बीमारियों का संक्रमण फैलने की आशंका हो।	500 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
7.	277	सार्वजनिक स्त्रोत अथवा बांध के पानी को प्रदूषित करना।	500 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
8.	283	सार्वजनिक मार्ग अथवा जलमार्ग में खतरा	200 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
9.	285	आग अथवा ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में लारवाहीपूर्ण आचरण	500 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
10.	286	विस्फोटक पदार्थो के प्रति लापरवाहीपूर्ण आचरण।	1000 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
11.	288	भवन की मरम्मत अथवा ध्वस्त करने के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण।	500 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
12.	289	जानवरों के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण।	500 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
13.	290	अन्यत्र प्रावधान न होने वाले मामलों में सार्वजनिक उपद्रव।	200 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
14.	294	अश्लील गाने एवं कार्य।	200 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
15.	298	किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की मंशा से जानबूझकर अपशब्द बोलना।	500 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
16.	323	अपने आप नुकसान पहुंचाना।	1000 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
17.	334	भड़काने पर स्वेच्छा से नुकसान पहुंचना।	500 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
18.	336	ऐसा कार्य जो किसी की जीवने अथवा व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए खतरनाक हो।	250 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।

क्रमांक	आईपीसी के तहत् धारा	अपराध	अधिकतम सजा
19.	341	गलत तरीके से प्रतिरोध।	500 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
20.	352	गंभीर उकसाहट पर अन्यत्र मारपीट अथवा आपराधिक हमला।	500 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
21.	374	गैरकानूनी आवश्यक श्रम।	1000 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
22.	379	चोरी	1000 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
23.	403	बेईमानी से संपत्ति हड़पना।	500 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
24.	411	चोरी की संपत्ति बेईमानीपूर्ण तरीके से प्राप्त करना।	500 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
25.	417	बेईमानी।	500 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
26.	426	शरारत।	200 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
27.	427	शरारत जिसमें पचास रूपये की धनराशि तक का नुकसान हो।	200 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
28.	428	दस रूपये मूल्य तक के जानवर की हत्या या अंगभंग की शरारत।	100 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
29.	429	किसी भी मूल्य के गोधन अथवा 50 रूपये मूल्य तक के किसी भी पशु की हत्या अथवा अंगभंग की शरारत।	500 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
30.	447	आपराधि अतिचार।	500 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
31.	448	घर में अवैध प्रवेश।	1000 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
32.	500	मानहानि।	500 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
33.	504	शांति भंग के लिए भड़काने के इरादे से अपमान।	200 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
34.	506	आपराधि धमकी।	1000 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
35.	509	किसी महिला की इज्जत के अपमान की नीयत से शब्द, इशारे अथवा कार्य।	1000 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
36.	510	शराब पिये हुए व्यक्ति द्वारा खुले आम दुर्व्यवहार।	10 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।

परिशिष्ट– 3

भारतीय वन अधिनियम–1927, छत्तीसगढ़ वन संरक्षित नियम–1960, छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) नियम–1969, वन प्राणी (संरक्षण) अधिनियम–1972, वन संरक्षण नियम–2003, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम–1986, पशु अतिचार अधिनियम–1871 आदि से संबंधित ऐसे मामले जिसमें अधिकतम 06 माह की सजा या अधिकतम जुर्माना 2000.00 रूपये तक हो। इसके अतिरिक्त दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 47, धारा 58, धारा 60 के मामले।